राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भारतीय भाषाओं सम्बन्धी अनुशंषाएं

किसी भी समाज की प्रगति वहाँ के योग्य नागरिकों पर निर्भर करती है और नागरिकों की योग्यता शिक्षा पर निर्भर करती है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र की सरकारें शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं। शिक्षा में कहां खामियी हैं और कहां -कहां शिक्षा को विस्तार दिया जा सकता है इन सब बातों को लेकर सचेत भी रहती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन के साथ ही एक बेहतर समसामयिक शिक्षा के व्यवहार में आने की उम्मीद है। यह नीति लगभग 5 वर्ष की तैयारी के बाद सामने आई है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अबतक तीन शिक्षा नीतियां बनी हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का यह पहला राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में समग्रता से विचार किया गया है एवं स्कूली शिक्षा को क्षेत्रिय भाषा में देने की योजना बनाई गई है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है।

इसरों के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समीति बनाई गई। इस समीति ने शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, उसको वर्तमान समाज से जोड़ने के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया । विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव लिए गये। सबके सुझाव को केन्द्र में रखते हुए वर्तमान शिक्षानीति का प्रारूप तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भारतीय भाषाओं संबन्धी अनुशंषा का महत्व, उद्देश्य व महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने से पूर्व की शिक्षा नीतियों के बारे में जान लेना जरूरी है जिससे

हम यह जान सकें कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत क्या थी, वर्तमान परिवेश में यह शिक्षा नीति हमे हमारी भाषाओं से जोड़ने में कितना सफल होगी।

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग(1964-66) की सिफारिसों पर आधारित था। शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय था। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य था । माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू किया गया। शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6% व्यय करने का भी लक्ष्य था।

दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्मित हुई और 1992 में संशोधित । शिक्षा में समानता का अवसर दिया गया। स्त्रियों, अनुसूचित जाति, जनजातियों को समान शैक्षिक अवसर दिया गया। प्राथमिक स्तर पर मूलभूत चीजों जैसे ब्लैकबोर्ड आदि की व्यवस्था की गई। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार विश्वविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा को अधिगम का माध्यम बनाए जाने का निर्णय बहुत ही साहसिक है। इससे बच्चों के लिए जो शिक्षा बोझिल हो गई थी वह रूचिकर होगी। रट्टा पद्धति की जगह मौलिकता का विकास होगा। व्यक्तित्व का नैसर्गिक विकास होगा। अपनी संस्कृति के प्रति सजगता व अन्य संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता भी उत्पन्न होगी । बच्चों में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान रूप से भारतीय भाषाओं की चिन्ता करती है। हमारी सभ्यता मूलक दृष्टि अनेक भाषाओं तथा बोलियों में विद्यमान
लोक साहित्य, लोक कला, लोक संगीत, लोक कथा आदि से समृद्ध हुई है।
इस प्रस्तावित कार्ययोजना में

आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं की पृथक अकादमी की स्थापना, भाषाओं के शब्दकोशों का अद्यतनीकरण और इस हेतु कार्यदलों का गठन, प्रयोजनमूलक भाषा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहन, मानकीकृत पारिभाषिक शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का निर्माण, समाज विज्ञानों तथा भौतिक विज्ञानों में भारतीय भाषाओं में दक्ष एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को चिन्हित करना, बहुभाषी शिक्षकों को अनुवाद कार्य योजना में संलग्न किया जाना। भारत के सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक दिग्दर्शन कराने वाली संस्कृत का अज्ञान भारतीयता का अज्ञान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सकारात्मक रूप से संबोधित करती है। पांडुलिपियों का एकत्रीकरण तथा संरक्षण सभी शिक्षण संस्थाओं के शोधकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठतम रचनाओं के अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा उनकी पुस्तकालयों में उपलब्धता सुनिश्चित कराना । कार्यालयी प्रयोग में हिंदी पर विशेष बल दिया जाना आदि प्रमुख है।

समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील है। समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति से शिक्षा रोजगारोन्मुखी होगी। शिक्षा को सार्वभौम बनाना जिससे शिक्षा सभी के लिए सुलग हो । प्रतिभा का पलायन रोका जा सकेगा। 2030 तक शिक्षा में 100% की वरीयता के साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य। स्कूलों का परिदृश्य, पाठ्य गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच के अन्तर को मिटाने की कोशिश करना। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक

50% तक बढ़ा दिया गया है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में विषयों की विविधता होगी। सॉलिड रिसर्च सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जायेगी। 21वीं सदी के परिदृश्य के अनुकूल स्कूल और कालेज की शिक्षा को समग्र बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमता को सामने लाना है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। सैद्धांतिक समझ पर जोर एवं रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास करना। सीखने के लिए सतत् मूल्यांकन पर जोर एवं तकनीकी विषयों में उपयोग पर बल दिया गया।

शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। क्योंकि देश के कुछ राज्य अभी तक इसका अमल नहीं कर रहे हैं। साथ ही त्रिभाषा नीति की जो भावना थी की उत्तर के राज्य अर्थात हिन्दी भाषी राज्य के छात्र अन्य राज्यों की एक भाषा सीखेंगे और अहिंदी भाषी राज्यों के छात्र हिन्दी सीखेंगे परन्तु यह व्यवहार में नहीं लाया जा सका सिर्फ कागजों में रह गया। इस हेतु नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य परस्पर अनुबंध कर भाषा शिक्षकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे देश में भाषा को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं। कई राज्यों में उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के लागू होने पर कई स्तरों पर सुधार होगा। अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा । भारत अपनी संस्कृति शिक्षा में और भी समृद्ध होगा।

विश्व बैंक ने 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों का डाटा लिया है। Human Capital index में

भारत को 116वीं रैंक मिली है। नई शिक्षा नीति ने यह उम्मीद जगाई है कि हम यहाँ से 50वें,10वें और 1वें तक पहुंच सकते हैं व ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। जब किसी भी विषय को बोझिल व गूढ़ भाषा से प्रिय व सहज भाषा की ओर ले जायेगें तो स्वतः ही शिक्षा का विस्तार होगा और विश्व रैंकिंग में भारत की शिक्षा आगे की ओर अग्रसर होगी। आनंद का विषय यह भी है कि अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम आठ भाषा में तैयार करके इसके क्रियान्वयन पर ठोस कार्य प्रारम्भ किया है।

भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष व महिला में काफी
अन्तर है। गांव और शहर में बहुत अन्तर है। 2011की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर 73%5 है जबकि शहरी इलाकों में वह 87 %है। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में दी जायेगी इससे बच्चों में रूचि पैदा होगी। शिक्षा बोझिल व क्लिष्ट नहीं होगी। अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का विस्तार होगा। एक तमिल भाषी बच्चे को जब तमिल में पढ़ने को मिलेगा, भोजपुरी क्षेत्र के बच्चे को भोजपुरी भाषा में पढ़ने को मिलेगा, ऐसे ही जब तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा तो इससे विषय में ही उसका ज्ञान नहीं बढ़ेगा बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, मौलिकता आएगी, रचनात्मक विकास होगा।
नई शिक्षा नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान व समावेशी
पहुँच को ही अपने केन्द्र में नहीं रखा बल्कि सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करना भी उसका एक बड़ा लक्ष्य है। इस पूरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सार्वभौमिक साक्षरता के एक बड़े अन्तर को पाटने के लिए एक

सशक्त मंच तैयार किया गया है।
अब देखना यह है कि इसको लागू
करने में हम कितना सफल होते हैं।

कु सरिता
शोध छात्रा,हिंदी विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी